

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 मई 2022—वैशाख 29, शक 1944

#### लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मई 2022

एफ 10-3-2022-सत्रह-मेडि-2.—गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 3(2C) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मेडिकल बोर्ड (गर्भ का चिकित्सीय समापन) का संभागीय स्तर [भोपाल, इन्दौर उज्जैन (इन्दौर के अंतर्गत) ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा] पर निम्नानुसार गठन करती है:—

1. विभागाध्यक्ष, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, संभागीय मुख्यालयीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय.
2. विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, संभागीय मुख्यालयीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय.
3. विभागाध्यक्ष, रेडियो डायग्नोसिस, संभागीय मुख्यालयीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय.
4. विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी/पैथोलॉजी विभाग संभागीय मुख्यालयीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय.

मेडिकल बोर्ड (गर्भ का चिकित्सीय समापन) की शक्तियां और कृत्य गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) नियम 2021 के नियम 3A अनुसार होगी.

अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी एवं आगामी आदेश तक विद्यमान रहेगी.

F-10-3-2022-XVII-M-2.— In exercise of the powers conferred by Section 3 (2C) of the Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act, 2021, the State Government hereby constitutes Medical Board (Medical Termination of Pregnancy) at Divisional level [Bhopal, Indore, Ujjain (under Indore division) Gwalior, Sagar, Jabalpur and Rewa] as follows:

1. Head of the department of Obstetrics and Gynecology Department of Divisional Headquarter Government Medical College.
2. Head of the department of Pediatrics Government of Divisional Headquarter Government Medical College.
3. Head of the department of Radiodiagnosis Government of Divisional Headquarter Government Medical College.
4. Head of the department General Surgery/Pathology Department of Divisional Headquarter Government Medical College.

The powers and functions of the Medical Board (Medical Termination of Pregnancy) shall be as per Rules 3A of the Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Rules, 2021.

The notification shall come into force immediately and shall remain valid till further orders.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुदाम खाड़े, सचिव.